

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक-एफ.10(9)आयु./2018

जयपुर दिनांक : 16 OCT 2018

--आदेश--

राजस्थान सेवा नियम (नवीन पेंशन नियम) 1996 के नियम 50(2) के अन्तर्गत निम्नांकित आयुर्वेद चिकित्साधिकारी को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र/आवेदन पर इनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है -

क्र. स.	नाम अधिकारी	पिता/पति का नाम	पद एवं पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रस्तावित स्व.से.नि. तिथि
1	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	श्री राम दयाल शर्मा	आयुर्वेद चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेद औषधालय, अमरगढ चौड-सवाईमाधोपुर	02.10.1963	31.10.2018

प्रमाण-पत्र

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,

(कुन्दन कुमार माथुर)
उप शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान - अजमेर (राज.)

क्रमांक : प.1/प्रति.7/स्वे.से.नि./राज./18/15786

दिनांक 22-10-18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ-

1. उप शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग भरतपुर।
3. अति. निदेशक आयुर्वेद विभाग भरतपुर।
4. उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जिला सवाईमाधोपुर।
5. प्रोग्रामर आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को दी जाकर लेख है कि उक्त को विभागीय बैवसाइट पर अपलोड एवं संबंधित कार्यालय को जरिये ई-मेल करे।
6. प्रभारी प्रति-1 (चिकि.)/प्रति-6/गोपनीय/जांच निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर।
7. संबंधित श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा आयुर्वेद चिकि. को द्वारा उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जिला सवाईमाधोपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

(रूपकिशोर शर्मा) 22-10-18
सहायक निदेशक